संख्या- 99 /2016/ 2985/33-3-2016-100(11)/2016

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 में पंचायत उद्योग केन्द्रों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा कार्यशाला की मरम्मत एवं निर्माण हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से स्वीकृत धनराशि क्रमशः रू. 750 लाख एवं रू. 750 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-80/2016/2345/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 18.10.2016 तथा शासनादेश संख्या-83/2016/2805/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 09.11.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 18.10.2016 एवं दिनांक 09.11.2016 का पृष्ठांकन कोषाधिकारी समस्त जनपद उ0प्र0 को त्रुटिवश न होने के कारण धनराशि का आवंटन जनपदों को किए जाने में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 18.10.2016 एवं दिनांक 09.11.2016 के पृष्ठांकन आदेश में कोषाधिकारी समस्त जनपद उ0प्र0 अंकित किया जाता है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-80/2016/2345/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 18.10.2016 एवं शासनादेश संख्या-83/2016/2805/33-3-2016-100(11)/2016 दिनांक 09.11.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/मुख्य विकास अधिकारी
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।
6- कोषाधिकारी समस्त जनपद उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://Shasnadeshup.nic.in